

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/216346/BJN/BIJNOR/1819/CFO

दिनांक: 30-08-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **MODERN ERA PUBLIC SCHOOL AT VILL RASOOLPUR PIRTHI MANDAWAR ROAD BIJNOR TEH AND DISTT BIJNOR** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता -,BIJNOR TO MANDAWAR ROAD,BIJNOR तहसील - BIJNOR जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A AND C	3	0	11.70 mt.
BLOCK B	3	0	11.70 mt.

तथा प्लॉट एरिया **31889.75 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **MODERN ERA PUBLIC SCHOOL AT VILL RASOOLPUR PIRTHI MANDAWAR ROAD BIJNOR TEH AND DISTT BIJNOR** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **05-09-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ANIL KUMAR CHAUDHARY CHANDRADEWAN@GMAIL.COM 8630444937** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **10-09-2026** से **09-09-2031** तक 5 वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : एफएसएसओ श्री शीशपाल सिंह द्वारा अपलोड मानचित्र अभिलेखों का परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण किया गया तो भवन शासनादेश संख्या-2688 / छ-पु -8 -2008 दिनांक 20 -11 -2008 तथा शासनादेश संख्या-18 /छ-पु ० -8 -2022 /905 -34 -201 टी ० सी० दिनांक 07 -01 -2022 में अच्छादित है विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें तथा फायर उपकरणों का ए0एम0सी0/मरम्मतअर्ह एजेन्सी से करायी जाए। अपलोड अभिलेखों में किसी प्रकार का विचलन पाया जाता है तो निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। एफएसएसओ की संस्तुति आख्या के आधार पर निर्गत।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

RAJEEV KUMAR PANDEY

6C6B7CD87F8DA0280481F96BE77A196410E6956C

10-09-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 10-09-2026

स्थान : BIJNOR

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.